सत्यमेव जयते

भारत सरकार

और

उक्रेन सरकार के बीच

विमान सेवा करार

भारत सरकार और उक्रेन सरकार जिन्हें एतत्पश्चात् "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबद्ध पक्ष हैं,

जो नागर विमानन क्षेत्र में पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने और अपने-अपने भू-भागों के बीच तथा उनसे परे विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन से एक करार निष्पादित करने के इच्छुक हैं,

निम्नलिखित के संबंध में सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद-1

परिभाषाएं

1. जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस करार के प्रयोजन के लिए :

क§ "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का आशय होगा, भारत के मामले में नागर विमानन महानिदेशक तथा उक्रेन के मामले में हवाई परिवहन, परिवहन मंत्रालय का राज्य प्रशासन अथवा दोनों मामलों में ऐसा व्यक्ति या निकाय जिसे उक्त प्राधिकारियों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्य को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो,

ख§ "नामित विमान कंपनी" पद से अभिप्राय होगा, ऐसी विमान कंपनी, जिसे एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों ने इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को लिखित रूप में नामित किया हुआ हो ।

ग) "अभिसमय" पद से अभिप्राय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है, और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत स्वीकृत कोई भी अनुबंध तथा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 और 94 के अंतर्गत अनुबंधों में या अभिसमय में किया गया कोई भी संशोधन शामिल होगा जहां तक उन अनुबंधों और संशोधनों का दोनों संविदकारी पक्षों द्वारा अनुसमर्थन किया गया हो ।

घ) "भू-भाग","हवाई सेवा","अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा", और "यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए रूकना" पदों का अर्थ वही है जो कि क्रमशः अभिसमय के अनुच्छेद 2 और 96 में दिया गया है ।

अनुच्छेद-2
यातायात अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को, इस करार के अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन से इस करार में निर्दिष्ट अधिकार मंजूर करता है। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को इसके पश्चात् क्रमशः "सम्मत सेवाएं" और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है ।

2. इस करार के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी (कंपनियों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

क) बिना उतरे हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना,
ख) यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में रूकना, और
ग) किसी विनिर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवा का प्रचालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनियों को इस करार के अनुबंध में उस मार्ग के लिए निर्दिष्ट स्थान (स्थानों) पर अन्य संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में अंतरराष्ट्रीय यात्री, कार्गो अथवा डाक में अंतरराष्ट्रीय यातायात को उड़ाने और उतारने का भी अधिकार होगा ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि किसी भी एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को, दूसरी संविदाकारी पक्ष के किसी स्थान को यात्री, कार्गो या डाक विमान से ले जाने का अधिकार मिल गया है ।

अनुच्छेद-3
एयरलाइनों को नामित करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं का प्रचालन करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप से सूचित करते हुए दो विमान कम्पनियों तक को नामित करने का अधिकार होगा ।

2. ऐसा नामांकन प्राप्त हो जाने पर, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ﴾3﴿ और ﴾4﴿ के उपबंधों के अधीन रहते हुए बिना विलम्ब के नामित विमान कम्पनी को उपयुक्त प्रचालन प्राधिकार मंजूर करेगा ।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन्हें आश्वस्त करे कि वह उन कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य हैं जो ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन पर लागू किये जाते हैं ।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, ऐसे किसी भी मामले में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित प्रचालन अधिकार मंजूर करने से मना करने अथवा किसी भी नामित विमान कम्पनी द्वारा इस करार के अनुच्छेद-2 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे जिसमें उक्त संविदाकारी पक्ष इस बारे में आश्वस्त नहीं हो कि उस विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण विमान कम्पनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित है । इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, "वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण" पद का अभिप्राय यह है कि यदि नामित विमान कम्पनी किसी भी अन्य देश अथवा सरकार अथवा किसी अन्य देश के राष्ट्रिकों के साथ करार के अधीन अपनी सेवाएं प्रचालित करती है तब वह नामित विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकेगा जब तक कि संविदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिक, नामित

विमान कम्पनी की परिसम्पत्तियों के एक बड़े भाग के स्वामित्व के अतिरिक्त निम्नलिखित भी प्राप्त कर लेंगे :-

§1§ नामित विमान कम्पनी के प्रबंध में प्रभावी नियंत्रण, और

§2§ सेवाओं के प्रचालन में प्रयोग किये जाने वाले विमान और उपस्कर बेड़े के बड़े भाग पर स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण ।

5• इस प्रकार से नामित और प्राधिकृत विमान कम्पनी किसी भी समय सम्मत सेवाओं का प्रचालन आरंभ कर सकती है बशर्ते कि इस करार के अनुच्छेद 10 और 12 की अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हों ।

अनुच्छेद-4
प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहृत करना अथवा रोक देना

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी के प्रचालन प्राधिकारों को प्रतिसंहृत करने या रोक देने अथवा ऐसी उपयुक्त शर्तें लगाने का जिसे वह आवश्यक समझे अधिकार आरक्षित रहेगा यदि वह विमान कम्पनी कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहती है, अथवा यदि पहले संविदाकारी पक्ष के विवेक के अनुसार, करार के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत शर्तों को पूरा करने में विफल रही है । यह उस समय भी लागू होगा जब अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 4 का अनुपालन न किया गया हो । इस प्रकार की कार्रवाई इस करार के अनुच्छेद 15 के अनुसार संविदाकारी पक्षों के बीच केवल आपसी विचार-विमर्श के बाद ही की जा सकेगी, अन्यथा प्रचालनों का तत्काल निलम्बन अथवा शर्तों का लगाया जाना आवश्यक होगा जिससे कानूनों, विनियमों अथवा इस करार के प्रावधानों के और आगे अतिलंघन से बचा जा सके ।

अनुच्छेद-5
प्रयोक्ता प्रभार

1• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को हवाई अड्डों और अन्य विमानन सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त प्रभार लगाने अथवा लगाने की अनुमति देने का अधिकार होगा बशर्ते कि ये प्रभार इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी अन्य एयरलाइनों के विमानों द्वारा अदा किये जा रहे प्रभारों से अधिक नहीं होंगे ।

सत्यमेव जयते

2· प्रत्येक संविदाकारी पक्ष प्रभार वसूलने वाले सक्षम संगठनों और सेवाओं तथा सुविधाओं का लाभ उठाने वाली नामित विमान कम्पनियों के बीच विचार-विमर्श को प्रोत्साहन देगा और जहां व्यवहार्य हो, ऐसा एयरलाइनों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से किया जा सकेगा । प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तन करने के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए उपयोगकर्ताओं को नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे कोई भी संशोधन किये जाने से पूर्व वे अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

3· दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष को अपनी स्वयं की ही अथवा अन्य संविदाकारी पक्ष की इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी हुई एयरलाइनों को अपने सीमा-शुल्क, आव्रजन, संगरोध और इसी प्रकार के विनियमों को लागू करने की छूट होगी अथवा इसे हवाई अड्डों, हवाई रास्तों, हवाई परिवहन सेवाओं और इसके अधीन हवाई यातायात सेवाओं और सहायक सुविधाओं का प्रयोग करने की भी छूट होगी।

अनुच्छेद-6
सीमा-शुल्क और कार्यविधियां

1· दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर प्रचालित विमान नियमित विमान उपस्कर तथा ईंधन, स्नेहक, तेल और विमान भण्डार की सप्लाई, जो कि दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ले जाया गया हो अथवा उस भू-भाग में विमान में लिया गया हो तथा उसका उपयोग केवल उस एयरलाइन के विमान द्वारा किया जाना हो, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क या ऐसे ही अन्य शुल्कों या प्रभारों से मुक्त रहेंगे चाहे ऐसी सप्लाई का उपयोग ऐसे विमान द्वारा उस भू-भाग में उड़ानों पर किया गया हो अन्य संविदाकारी पक्ष को ऐसी ही अनुकूल सहायता दी जानी चाहिए जैसी कि अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा अपनी स्वयं की उस नामित विमान कम्पनी को दी जाती है जो अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित कर रही हो अथवा वह अति अनुग्रहीत राष्ट्र की एयरलाइन हो ।

2· इसी प्रकार का व्यवहार दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करने के लिए अतिरिक्त पुर्जों के लिए भी किया जाना चाहिए जिसका प्रयोग दूसरी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं पर प्रयोग किये जा रहे विमान के

सत्यमेव जयते

अनुरक्षण अथवा मरम्मत के लिए किया जा रहा हो ।

3. दोनों संविदाकारी पक्षों में से किसी को भी अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनियों को सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्कों और इसी प्रकार के अन्य प्रभारों से छूट अथवा मुक्त नहीं रखना चाहिए बशर्ते कि दूसरा संविदाकारी पक्ष भी पहले संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनियों को ऐसे प्रभारों से छूट अथवा माफी प्रदान करे ।

4. किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान पर रखे गये नियमित वैमानिक उपस्कर और सामग्री और सप्लाई को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में केवल उस भू-भाग के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति के बाद ही उतारा जा सकेगा ।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) और (4) में उल्लिखित सामग्री सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की देख-रेख अथवा नियंत्रण में रखी जा सकेगी ।

6. दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर जाने वाले सीधे मार्गस्थ यात्री साधारण नियंत्रण के अधीन होंगे । सीधे मार्गस्थ सामान और कार्गो सीमा-शुल्क और इसी प्रकार के अन्य करों से मुक्त रहेंगे ।

अनुच्छेद-7
प्रतिनिधित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनियों को अन्य राष्ट्र के भू-भाग में प्रतिनिधित्व स्थापित करने और रख-रखाव का अधिकार होगा जिसमें विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के निष्पादन के लिए उसे अपने स्वयं के अथवा स्थानीय तकनीकी और वाणिज्यिक कार्मिक रखने का अधिकार होगा । इस प्रकार का प्रतिनिधित्व स्थानीय कार्यविधि के अनुसार स्थापित किया जा सकेगा ।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष का सक्षम निकाय सम्मत सेवाओं के प्रचालन के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनियों को उक्त प्रतिनिधित्व के सुसंचालन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे ।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनियों को दूसरे संविदाकारी देश के

भू-भाग में वहन के लिए और विक्रय प्रोत्साहन के लिए विज्ञापन देने के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे । इस प्रकार के विक्रय स्थानीय मुद्रा अथवा कोई भी परिवर्तनीय मुद्रा और उधार कार्डों से या तो उनके स्वयं के विक्रय कार्यालयों से सीधे ही अथवा विक्रय और/अथवा यात्रा अभिकर्ताओं से किसी भी व्यक्ति, संगठन या निकाय को किये जा सकेंगे ।

अनुच्छेद-8
कानूनों की प्रयोज्यता

1. एक संविदाकारी पक्ष के, अंतरराष्ट्रीय हवाई दिक्चालन अथवा अपने ही भू-भाग के अन्दर विमानों के प्रचालन और दिक्चालन में रत ऐसे विमानों के उसके भू-भाग में प्रवेश और वहां से प्रस्थान को शासित करने वाले कानून और विनियम दूसरी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी(कम्पनियों) के विमानों पर लागू होंगे ।

2. एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में यात्रियों, कर्मीदल के सदस्यों, कार्गो और डाक के प्रवेश, मुकाम अथवा वहां से प्रस्थान को शासित करने वाले कानून और विनियम जैसे पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य और संगरोध दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी(कम्पनियों) के विमानों में उक्त भू-भाग के अन्दर वाहित यात्रियों, कर्मीदल के सदस्यों, कार्गो और डाक पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद-9
सेवाओं की क्षमता/आवृत्ति

1. दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों को अपने-अपने भू-भागों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के प्रचालन के लिए उचित और समान अवसर प्राप्त होंगे ।

2. सम्मत सेवाओं का प्रचालन करते समय प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी, दूसरे संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि उस दूसरी विमान कम्पनी द्वारा उस सम्पूर्ण मार्ग पर या उसके किसी खण्ड पर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

सत्यमेव जयते

3. नामित विमान कम्पनियों द्वारा सम्मत सेवाओं पर प्रदान की जाने वाली क्षमता के लिए एक निकट का सम्पर्क बनाए रखा जाएगा जिससे दोनों संविदाकारी पक्षों के भू-भागों में यात्री जनता की हवाई परिवहन आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके ।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में अपनाये गये सिद्धांतों के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा प्रचालित सेवाओं की आवृत्ति और प्रदान की जाने वाली क्षमता पर सहमति दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के मध्य की जाएगी ।

5. दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों द्वारा प्रचालित सेवाओं की आवृत्ति अथवा प्रदान की जाने वाली क्षमता में कोई भी वृद्धि संविदाकारी पक्षों के भू-भागों में मुख्यतः यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकताओं पर आधारित होगी और इस पर दोनों देशों के वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा सहमति दी जाएगी । इस प्रकार के करार अथवा समझौता होने तक, पहले से ही लागू क्षमता और आवृत्ति का निर्वाह किया जाता रहेगा ।

अनुच्छेद-10
प्रचालन सूचना का प्रावधान

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कम्पनी(कम्पनियों) को दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, सेवा के प्रकार और इसकी आवृत्ति, प्रयोग किये जाने वाले विमान और उड़ान समयावलियों के बारे में सम्मत सेवाओं के उद्घाटन से साठ दिन पहले विचार व अनुमोदन हेतु भेजने के लिए कहेंगे । इसी प्रकार की सूचना उस समय भी कम-से-कम तीस दिन पहले दी जानी चाहिए जब कभी सम्मत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में कोई भी परिवर्तन किया जाना हो ।

2. नामित विमान कम्पनियों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को अन्य सूचना भी देनी होगी जिससे वे इस बात से संतुष्ट हो सकें कि करार की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-11
आंकड़ों की व्यवस्था

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी-अपनी नामित विमान कम्पनियों को दूसरे पक्ष के नामित वैमानिकी प्राधिकारियों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के लिए व वहां से सम्मत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वहन किए गए यातायात से संबंधित आंकड़े देने को कहेंगे जिसमें इस प्रकार के यातायात के उतरने और चढ़ने के स्थलों को उल्लेख किया गया हो । इस प्रकार के आंकड़े जितनी जल्दी हो सके प्रत्येक माह के अंत में दिये जा सकेंगे ।

अनुच्छेद-12
टैरिफ

1. निम्नलिखित पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए "टैरिफ" शब्द का अभिप्राय यात्रियों और कार्गो के वहन के लिए अदा किये जाने वाले मूल्य तथा एजेंसी और अन्य अनुषंगी सेवाओं की शर्तों से है परन्तु इसमें डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और उससे संबंधित शर्तें शामिल नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से या उस तक वहन के लिए वसूल किया जाने वाला टैरिफ समुचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें प्रचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य एयरलाइनों के टैरिफ सहित सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा ।

3. इस अनुच्छेद के पैरा§2§ मे निर्दिष्ट टैरिफ का निर्धारण यदि संभव हो, तो दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों के बीच सहमति से किया जाएगा और ऐसा करार जहां कहीं संभव हो अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए किया जाएगा ।

4. इस प्रकार सम्मत टैरिफ उसके लागू किए जाने की प्रस्तावित तारीख से कम-से-कम नब्बे§90§ दिन पहले दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । यह अवधि कुछ विशेष मामलों में उक्त प्राधिकारियों की सहमति से कम की जा सकती है ।

सत्यमेव जयते

5. यह अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जाएगा । यदि किसी भी वैमानिकी प्राधिकारी ने इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 के अनुसार प्रस्तुत किए जाने के तीस§30§ दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए अपनी अस्वीकृति न दी हो तो इन टैरिफों को अनुमोदित हुआ मान लिया जाएगा । पैरा 4 में किए गए प्रावधान के अनुसार, यदि प्रस्तुतीकरण की अवधि को कम करने की स्थिति में वैमानिकी प्राधिकारी आपस में सहमत हो सकते हैं कि वह अवधि जिसके भीतर अस्वीकृति को अवश्य अधिसूचित कर दिया जाना चाहिए, तीस§30§ दिन से कम होगी ।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अनुसार इस टैरिफ के निर्धारण पर सहमति नहीं होती है या यदि इस अनुच्छेद के पैरा 5 के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे वैमानिकी प्राधिकारी को इस अनुच्छेद के पैरा §3§ के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित टैरिफ पर अपनी असहमति का नोटिस देता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारण करने का प्रयास करेंगे ।

7. यदि वैमानिकी प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए टैरिफ के अनुमोदन अथवा इस अनुच्छेद के पैरा 6 के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण पर सहमत न हो सके तो इस करार के अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अनुसार इस मामले का निपटान किया जाएगा ।

8. इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक नए टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता । तथापि, इस पैरा के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह§12§ महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता है ।

अनुच्छेद-13
उपार्जनों का अन्तरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को प्रथम संविदाकारी पक्ष के भू-भागों में अर्जित व्यय से अधिक आय अपने मुख्यालय को भेजने का अधिकार प्रदान करता है। तथापि, इस प्रकार के प्रेषण किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में

सत्यमेव जयते

किये जा सकेंगे और वह उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार किए जा सकेंगे जहां पर यह राजस्व अर्जित किया गया हो ।

2· इस प्रकार के अंतरण मुद्रा भुगतान की सरकारी विनिमय दर पर किये जाएंगे अथवा जहां कोई सरकारी विनिमय दर न हो, मुद्रा भुगतान के लिए प्रवृत्त विदेशी मुद्रा मार्केट दरों पर किये जाएंगे ।

3· यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान के निपटारे के लिए कोई विशेष प्रबंध किये हुए हैं, तब इस अनुच्छेद के पैरा ﴾1﴿ के अधीन निधियों के अंतरण के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए जाएंगे ।

अनुच्छेद-14
विमानन सुरक्षा

1· अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरूद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना संविदाकारी पक्ष, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान में किए गए अपराधों एवं कुछ अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण निवारण अभिसमय और 23 सितम्बर, 1971 को मॉंट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा विधि विरूद्ध कार्य दमन अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करे ।

2· अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किए जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध गैर-कानूनी कृत्यों से बचाव के लिए या नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद्ध किसी अन्य धमकी के लिए एक दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे ।

3· दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित नागर

विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक ऐसे सुरक्षा उपबंध इन पक्षों पर लागू होते हैं। वह अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान प्रचालकों जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके भू-भाग में है तथा उनके भू-भाग में हवाई अड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वह ऐसे विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे ।

4. दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात से सहमत हैं कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय, वहां से प्रस्थान करते समय या उसमें रहते समय अपेक्षित ऊपर पैराग्राफ (3) में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके भू-भाग में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार तथा विमान में लादने से पहले यह उसके दौरान उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाते हैं । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा ।

5. जब कभी किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण की धमकी या इस प्रकार की धमकी की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध कोई गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो संविदाकारी पक्ष एक दूसरे को संचार सुविधाएं प्रदान करेंगे और इस प्रकार की घटनाओं अथवा इस खतरे को तुरंत समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे ।

6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ऐसे उपाय करेगा जैसे कि वह व्याहार्य समझे, और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि यदि कोई विमान गैर-कानूनी अभिग्रहण अथवा किसी अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कारण उसके भू-भाग में उतरा है, भूमि पर खड़ा रखा जाएगा बशर्ते कि मानव जीवन की रक्षा के लिए इसका वहां से भेजा जाना अनिवार्य न हो। जहां कहीं भी व्यहार्य होगा, इस प्रकार के उपाय आपसी विचार-विमर्श के आधार पर किए जाएंगे ।

7. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध से हटने के मामले में अनुच्छेद 15 के

अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इस करार के अनुच्छेद 4 को लागू करने के लिए आवश्यक आधार तैयार किए जा सकते हैं ।

अनुच्छेद-15
परामर्श

निकट सहयोग की भावना से दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी इस करार के लागू किए जाने और अर्थ निर्वचन के लिए नियमित रूप से विचारों का आदान-प्रदान करते रहेंगे ।

अनुच्छेद-16
संशोधन

1. यदि कोई भी संविदाकारी पक्ष इस करार के किन्हीं उपबंधों में संशोधन करना चाहता है तो वह अन्य संविदाकारी पक्ष उसे परामर्श के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श जो वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच हो सकता है और जो चर्चा अथवा पत्राचार द्वारा हो सकता है, अनुरोध की तारीख से 60 (साठ) दिन की अवधि के अंदर आरंभ किया जाएगा । इस प्रकार से सहमत कोई भी संशोधन उस समय लागू माना जाएगा जब इनकी पुष्टि राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान से कर दी जाएंगी।

2. अनुबंध में उल्लिखित मार्गों में संशोधन संविदाकारी पक्षों के सक्षम वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति से किया जा सकता है और इनकी पुष्टि पत्रों के आदान-प्रदान से की जाएगी ।

अनुच्छेद-17
विवादों का निपटान

यदि इस करार के निर्वचन अथवा प्रवर्तन के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी परस्पर बातचीत से इसे हल करने का प्रयास करेंगे जिसके असफल रहने पर विवाद को निपटान के लिए संविदाकारी पक्षों के पास भेजा जाएगा ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-18
बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों का लागू होना

1. उस सीमा तक, जहां तक ये करार के अधीन स्थापित विमान सेवाओं पर लागू होते हैं, अभिसमयों के प्रावधान करार की अवधि के दौरान संविदाकारी पक्षों के बीच अपने वर्तमान स्वरूप में ही लागू रहेंगे जैसे कि वे करार के अभिन्न अंग हों, बशर्ते कि दोनों संविदाकारी पक्ष अभिसमय में कोई संशोधन न कर दें, जो लागू हो जाएगा तथा उस मामले में अभिसमय अपने संशोधित रूप में इस करार की अवधि के लिए लागू रहेगा ।

2. यदि कोई सामान्य बहुपक्षीय विमान अभिसमय दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में प्रवर्तन में आता है तो ऐसे अभिसमय के प्रावधान लागू होंगे ।

अनुच्छेद-19
अनुबंध

इस करार का अनुबंध करार का ही एक भाग माना जाएगा और उसके सिवाय जहां अन्यथा व्यवस्था न हो, इस करार से संबंधित सभी संदर्भों में, इस अनुबंध से संबद्ध संदर्भ भी शामिल होगा ।

अनुच्छेद-20
लागू होना

आवश्यक संवैधानिक कार्यविधियों का अनुपालन करने के बाद यह करार इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू माना जाएगा ।

अनुच्छेद-21
समाप्त करना

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार को समाप्त करने हेतु अपने निर्णय के बारे में नोटिस दे सकता है । ऐसा

सत्यमेव जयते

नोटिस साथ-साथ ही अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा । ऐसे मामले में दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से बारह महीने के बाद यह करार समाप्त माना जाएगा बशर्ते कि यह नोटिस उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले वापस न ले लिया गया हो । दूसरे संविदाकारी पक्ष से पावती प्राप्त न होने की स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा इस नोटिस की प्राप्ति के चौदह दिन के बाद यह नोटिस प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा ।

दिनांक 7 जुलाई, 1995 को कीव में हिन्दी, उक्रेन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए जिनमें सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । यदि इनके निर्वचन में कोई मतभेद हो तो अंग्रेजी पाठ ही अभिभावी होगा ।

भारत सरकार की ओर से	उक्रेन सरकार की ओर से
(रा. कु. राय)	(म. ओ. मारचेनको)
उक्रेन में भारत का राजदूत	अध्यक्ष, उक्रेन राजकीय विमानन विभाग